इटावा पुलिस
सराहनीय कार्य

#CRACKDOWN

दिनांक 21.08.2026

- **पत्नी सहित सास की दिल दहला देने वाली हत्या की वारदात का पुलिस ने किया सफल अनावरण, मुख्य आरोपी पति पुलिस मुठभेड़ में किया गया गिरफ्तार।**
- **कब्जे से 01 तमन्चा 315 बोर, 01 खोखा, 03 जिन्दा कारतूस 315 बोर, एवं मृतिका की 01 जोडी पायल की गयी बरामद।**

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण इटावा श्री श्रीशचन्द्र के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी भरथना श्री रामदवन मौर्य के नेतृत्व में एसओजी/सर्विलांस टीम एवं थाना भरथना पुलिस द्वारा संयुक्त रुप से की गयी कार्यवाही।

दिनांक 17.08.2026 को थाना भरथना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम चन्देठी में 02 महिलाओं के शव प्राप्त होने की सूचना प्राप्त हुयी प्राप्त सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा एवं अन्य अधिकारीगणों द्वारा तत्काल मौके पर जाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु एसओजी/सर्विलान्स एवं थाना भरथना से पुलिस टीमों का गठन किया गया था।
जिसमें गठित पुलिस टीमों द्वारा दिनांक 17.08.2026 को ही अभियुक्त मुकेश पुत्र रामनरेश यादव को पुलिस मुठभेड में गिरफ्तार किया गया था।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरणः-

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं हत्या की घटना कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 20/21.08.2026 की रात्रि को एसओजी/सर्विलांस टीम एवं थाना भरथना पुलिस भ्रमणशील थी। इसी दौरान आपराधिक अभिसूचना प्राप्त हुयी कि ग्राम चन्देठी में 02 महिलाओं की हत्या करने वाला अभियुक्त तुरैया पुल के पहले मंदिर के पास खडा है, तथा गवाहों को धमकाने के उद्देश्य से आया हुआ है, गठित पुलिस टीम द्वारा तुरैया पुल के पास बने मंदिर पर जाकर जैसे ही अभियुक्त को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया तो अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया **जिस पर पुलिस टीम द्वारा आवश्यक बल प्रयोग करते हुये अभियुक्त को 01 तमंचा 315 बोर, 03 जिंदा एवं 01 खोखा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया।**

पुलिस पूछताछः-

पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त सत्येन्द्र यादव से पूछताछ की गयी तो उसके द्वारा बताया गया कि मेरी शादी वर्ष 2021 में मंजू यादव उर्फ निर्मला पुत्री सुरेश (निवासी ग्राम चन्देठी, थाना भरथना) से हुयी थी **वैवाहिक विवाद के कारण मंजू अपने मायके ग्राम चन्देठी में रह रही थी तथा मंजू एवं उसकी मां पुष्पा देवी ने मेरे और मेरे परिवार वालों के खिलाफ भरण-पोषण व घरेलू हिंसा का मुकदमा माननीय न्यायालय इटावा में कर दिया था। हाल ही में माननीय न्यायालय द्वारा मुझे अपनी पत्नी मंजू को 03 लाख रुपये नकद व भरण-पोषण हेतु ₹7,000/- प्रतिमाह देने का आदेश पारित किया गया था। फिर भी मेरे ससुराली जनों को 7000/- हजार रुपये कम लग रहा था और वह 20-25 हजार रुपये प्रति माह करवाने के लिये पुनः कोर्ट में याचिका दायर करने वाले थे इसी कारण**

मैंने मंजू और उसकी मां पुष्पा देवी को रास्ते से हटाने के लिये अपने रिश्तेदार मुकेश के साथ मिलकर योजना बनाई । दिनांक 15.08.2026 को योजना के अनुसार हम दोनों चौपला पुल के पास मिले और वहीं से मैंने (कोल्ड ड्रिंक) की 04 छोटी बोतलें खरीदी और 02 बोतल में नींद की गोलियां मिला दी और मुकेश कुमार को दे दी इसके उपरांत पहले मुकेश ग्राम चन्देठी पहुंचा बाद में मैं भी वहां रात्रि में पहुंच गया।

मुकेश ने दोनों को नशीली कोल्ड ड्रिंक पिला दी, जिससे वे दोनों अचेत (बेहोश) हो गईं। जिसके बाद हम दोनों ने दुपट्टे से सास के हाथ-पैर बांधे और मैंने दराती से उसका गला रेत दिया। इसके उपरांत मैंने दरांती से अपनी पत्नी मंजू का भी गला काटकर उसकी हत्या कर दी। **हत्या को अंजाम देने के पश्चात मैंने साथी मुकेश कुमार को फरारी काटने हेतु ₹2,50,000/- (दो लाख पचास हजार रुपये) नकद दिए और उसे वहां से भगा दिया इसके बाद मैं भी कोल्ड ड्रिंक, दुपट्टा और सारे सामान को लेकर वहाँ से भाग गया।**

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना भरथना पर मु0अ0सं0 196/2026 धारा 109(1) बीएनएस व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. सत्येन्द्र यादव उर्फ मनि पुत्र श्रीकृष्ण निवासी ग्राम मिडिया थाना किशनी जनपद मैनपुरी।

पंजीकृत अभियोगः-

1. मु0अ0सं0 196/2026 धारा 109(1) बीएनएस व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना भरथना जनपद इटावा।
2. मु0अ0सं0 189/2026 धारा 80(2)/85/103(1)/61(2)a बीएनएस व धारा 3/4 डीपी एक्ट थाना भरथना जनपद इटावा।

बरामदगीः-

1. 01 तमन्चा 315 बोर
2. 03 जिन्दा कारतूस 315 बोर
3. 01 खोखा कारतूस 315 बोर
4. 01 जोडी पायल (मृतिका की)

पुलिस टीमः-

प्रथम टीमः- एसओजी/सर्विलान्स टीम

द्वितीय टीमः- निरी0 श्री विक्रम सिंह प्रभारी थाना भरथना, उ0नि0 देवेन्द्र कुमार, उ0नि0 तन्मय चौधरी, का0 अजय सिंह, का0 रामदत्त, का0 श्याम सिंह।